न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 233A/2024 दायर दिनाँक 28.08.2024

वादी

1. उमर खां पुत्र लोडु खां जाति शैरानी निवासी गौसिया मौहल्ला, शैरानी आबाद तहसील छोटी खाटू, जिला डीडवाना—कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. लाल मोहम्मद खान पुत्र इजाज खां
2. दीन मोहम्मद पुत्र इजाज खां
3. सुबहानी बानों पुत्री इजाज खां
4. आसीया बेगम पुत्री इजाज खां
5. बाना पुत्री इजाज खां
6. एमना पुत्री इजाज खां
7. अमतु बेगम पत्नी इजाज खां समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना—कुचामन राज0
8. ग्राम पंचायत शैरानी आबाद।
9. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादीगण।

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनाँक 17.01.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवारी हल्का शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 368 रकबा 1.5100 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 05.12.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटी खाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने पत्रांकः 16 दिनाँक 13.01.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटी खाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांकः 16 दिनाँक 13.01.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :—

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवारी हल्का शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 368 रकबा 1.5100 हैक्टे0 की भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 16 दिनाँक 13.01.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 16 दिनाँक 13.01.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, **R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **17.01.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, **R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **233A/2024** दायर दिनाँक **28.08.2024**

वादी

1. उमर खां पुत्र लोडु खां जाति शैरानी निवासी गौसिया मौहल्ला, शैरानी आबाद तहसील छोटी खाटू, जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. लाल मोहम्मद खान पुत्र इजाज खां
2. दीन मोहम्मद पुत्र इजाज खां
3. सुबहानी बानों पुत्री इजाज खां
4. आसीया बेगम पुत्री इजाज खां
5. बाना पुत्री इजाज खां
6. एमना पुत्री इजाज खां
7. अमतु बेगम पत्नी इजाज खां समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0
8. ग्राम पंचायत शैरानी आबाद।
9. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **17.01.2025**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी व श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवारी हल्का शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 368 रकबा 1.5100 हैक्टे0 की भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 16 दिनाँक 13.01.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 16 दिनाँक 13.01.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **17.01.2025** को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner